TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India

Ministry of Finance

Department of Revenue

(Central Board of Direct Taxes)

(Income-tax)

Notification

New Delhi, the 23rd September, 2015

- S.O. (E). In exercise of the powers conferred by section 295, read with clause (14) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (Thirteenth Amendment) Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 2BB, in sub-rule (2), in the Table, against serial number 11, in the entry under column (2) relating to "name of allowance", after the words "who is blind", the words "or deaf and dumb" shall be inserted.

[Notification No. 75 /2015/F. No.142/02/2015-TPL]

Agri Landia (Arju Garodia) 23/9/15 Under Secretary (TPL)

Note .—The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962, and last amended by vide Notification number S.O. 2290(E) dated 17th August, 2015.

28/9/15 Relene

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) (आय-कर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 23 सितंबर, 2015

का.आ.(अ) .- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम,1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (14) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे !
- 2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 2ख ख, के उप-नियम (2), की सारणी में, क्रम संख्यांक 11 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन "भत्ते का नाम" संबंधी प्रविष्टि में, शब्दों "जो अंधा है" के पश्चात् "या मूक-बिधर" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा ।

(अधिसूचना सं. 🖊 🕻 /2015/फा.सं. 142/02/2015-टीपीएल)

आरज् गाडोविमा

(आरज् गाडोदिया)

अवर सचिव (टीपीएल 🔆)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक 2290 (अ) तारीख 17/08/2015 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया ।